कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 14 / 2023

श्री मुकेश कुमार पुत्र नेकराम ब्राहम्ण, निवासी गांव व पोस्ट दौरदा, तहसील रुपवास जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट,भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 5.4.2023

अपीलार्थी श्री श्री मुकेश कुमार पुत्र नेकराम ब्राहम्ण, निवासी गांव व पोस्ट दौरदा, तहसील रुपवास जिला भरतपुर यह अपील सूचना का अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। जो इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 10–2–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट,भरतपुर से सूचना चाही थी। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 292 दिनांक 27.3.2023 द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलैक्ट्रेट,भरतपुर का जबाव पत्र क्रमांक / न्याय / सू0अधि0 / 2023 / 316 दिनांक 05.04.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में कथन है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के तहत तीन बिन्दूओं पर सूचना चाही गई थी, परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने केवल बिन्दू संख्या 2 की ही सूचना दी है। प्रार्थना पत्र की विन्दू संख्या 1 व 3 की सूचना दिलाये जाने के लिये निवेदन किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक / न्याय / सू0अधि0 / 2023 / 316 दिनांक 05.04.2023 से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलार्थी को चाही गई सूचना जरिये पत्र क्रमांक / न्याय / सू.अधि0 / 2023 / 262 दिनांक 13.3.2023 भिजवाई जा चूकी

.........2

है। यानि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सहित) भिजवायें निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग कलैकट्रेट भरतपुर को भिजवाई जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर